राजस्थान सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः निसंशि/संस्था–5/क0सहा0/2019–20/25857-74 जयपुर, दिनांकः 15.7.2020

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष, 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्र क्रमांक पं.1(1) प्र.सु./अनु.–3/2020 जयपुर, दिनांक 16.05.2020 द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग आवंटित किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम,1999 के तहत कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी,2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) वित्त(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Tranee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/–प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे–मेट्रिक्स लेवल–5 पर निम्नलिखित शर्तों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है।

अनुसूचित क्षैत्र (TSP AREA)

S.No.	RANK	Photo	NAME	FNAME	DOB	GENDER	M/UM	CAT	H_CAT	SEL_CAT	Posting Place	Teh./PS	District.
1	21113		GAURAV JAIN	MAHENDRA KUMAR JAIN	24-04-98	Male	UM	GEN		GEN	रा.प्रवे.सं.वि.रापेटा घोडी	खैरवाडा	उदयपुर
2	22022		SATISH SUTHAR	ISHWAR LAL SUTHAR	31-03-93	Male	M	OBC		GEN	रा.प्रवे.सं.वि. ओबरी	सागवाडा	डूंगरपुर
3	22078		YOGESH SHARMA	GHANSHYAM SHARMA	03-10-00	Male	UM	GEN		GEN	रा.प्रवे.सं.वि. बांसवाडा	बांसवाडा	बांसवाडा
4	22163		BHUPENDRA SINGH DEORA	NATWAR SINGH	17-04-95	Male	UM	GEN		GEN	रा.व.उपा.स.वि. सूरजगॉव	सागवाडा	डूंगरपुर
5	22217		KRISHAN BALDEV SINGH SHAKTAWAT	RAJENDRA SINGH SHAKTAWAT	14-08-93	Male	M	GEN		GEN	रा.व.उपा.सं.वि. सिलथिया	घाटोल	बांसवाडा
6	22494		HIMANSHU SHAH	DILIP KUMAR SHAH	29-09-93	Male	UM	GEN		GEN	रा.प्रवे.सं.वि. चीतरी	सीमलवाडा	डूंगरपुर

7	22734		DEEPAK NAGDA	KESHU LAL NAGDA	06-07-96	Male	UM	GEN		GEN	रा.प्रवे.सं.वि. चिखली	सीमलवाडा	डूंगरपुर
8	22801		MADAN SINGH	BHEEKH SINGH	15-04-87	Male	M	OBC		GEN	रा.व.उपा.सं.वि.अरथूना	गढी	बांसवाडा
9	22824		TARUNA DHABAI	KANHAIYA LAL DHABAI	27-03-97	Female	UM	OBC		GEN	रा.व.उपा.सं.वि.बडला	खैरवाडा	उदयपुर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है–

1. राज्य में कोरोना वायरस (Covid-19) को महामारी घोषित किये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुये अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे **दिनांक 31.07.2020** तक ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सामने अंकित कार्यालय में पद कार्यभार ग्रहण कर लेवें। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण नियत तिथि तक अभ्यर्थी पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को लिखित में सूचित कर देवे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जायेगा।
2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या पं012(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, पं0 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, पं0 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, पं0 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा– मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ013(1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगें।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेंगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त होने की स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse report) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियें को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सत्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित एवं अप्रामाणिक पाये जाने पर नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी एवं प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
9. परिवीक्षा काल (Probation Period) में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) पर वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।

11. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक–2018 के लिये निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–15(1)डीओपी/ए–11/74, दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः निसंशि/संस्था–5/क0सहा0/2019–20/ 25857–74

जयपुर,दिनांकः 15/07/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, प्रशासनिक [illegible]–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–[illegible]) [illegible] [illegible]थान सरकार, जयपुर।
6. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, [illegible] जिला .... ।
7. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिका[illegible]धपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
8. संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (रावरिउपासवि/राप्रवेसंवि) को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
9. संबंधित अभ्यर्थी।
10. संरक्षण पंजिका।

(अशोक कुमार योगी)
सहायक निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

शिक्षा विभाग समाचार
राजस्थान